



पंचदश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.08.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- | | |
|---|--|
| <p>1. श्री सदानन्द सिंह,
स०वि०स०
श्री मंजीत कुमार सिंह,
स०वि०स०
श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी,
स०वि०स०</p> | <p>“जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में स्वास्थ्य शिक्षकों के कुल स्वीकृत 131 पदों में सिर्फ 85 स्वास्थ्य शिक्षक ही कार्यरत हैं, यानि कुल 46 स्वास्थ्य शिक्षकों के पद अभी रिक्त हैं । उपर्युक्त मेडिकल कॉलेज में सात (07) एसोसिएट एवं तीन (03) असिस्टेंट प्रोफेसर, जो वर्षों से उक्त पद पर कार्यरत हैं, ये सभी उक्त पद पर प्रोन्नति हेतु सरकार के नियमावली अनुसार आवश्यक योग्यता एवं अहर्ताएं रखते हैं । उपरोक्त पद पर वर्षों से कार्यरत इन स्वास्थ्य चिकित्सकों को प्रोन्नति देने से उक्त मेडिकल कॉलेज में सरकार को सात (07) एसोसिएट एवं तीन (03) असिस्टेंट प्रोफेसर प्राप्त हो जाएंगे, जिससे जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में वरीय स्वास्थ्य शिक्षकों की कमी कुछ हद तक दूर हो जाएगी ।</p> |
|---|--|

अतः वरीय स्वास्थ्य शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु उपरोक्त पद पर वर्षों से कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षकों को प्रोन्नति देने के संबंध में हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।”

1	2	3	4
2.	श्री भाई वीरेन्द्र, संवि०स०	<p>"पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखंड स्थित डुमरी मौजा के थाना नं०-48 के अन्तर्गत किसानों के 211 एकड़ खेती लायक जमीन को बिना किसानों की सहमति से बियाडा द्वारा जोर-जबरदस्ती कर अधिगृहित किया जा रहा है । माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि किसानों का खेतीहर जमीन को बिना किसान की सहमति से अधिगृहित नहीं किया जाय, परन्तु सारे नियम को ताक पर रखकर बियाडा उक्त जमीन को प्रशासन के बल पर कब्जा कर रहा है । किसानों ने इसके विरुद्ध पिछले कई माह से धरना-प्रदर्शन एवं आन्दोलन कर रहे हैं । किसानों में हाहाकार है । सारे किसानों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।</p> <p>अतः उक्त जमीन को बियाडा से मुक्त करने की ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"</p>	उद्योग

फूल झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-32/13-

1240

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 3/ जुलाई, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा उद्योग विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजकुमार रजक)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-32/13-

1240

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 3/ जुलाई, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(राजकुमार रजक)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।